रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916
No. 155] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

IndiaCode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

अधिसूचना

का.आ. 272(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

(1) प्रोफेसर एस. के. खन्ना, अध्यक्ष
डी-II/363, पंडारा रोड,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा

(2) सचिव (व्यय), सदस्य
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (छ) द्वारा)

(3) वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि, सदस्य
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

(4) स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

(5) सलाहकार (विज्ञान और तकनीकी) सदस्य
खान मंत्रालय,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

(6) योजना आयोग का प्रतिनिधि, सदस्य
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

(7) प्रोफेसर पी. जे. कुरियन, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
बी-77, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ञ) द्वारा)

(8) श्री प्रभाकर बी कोरे, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
129, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ञ) द्वारा)

(9) आयुक्त और सचिव, सदस्य
हरियाणा सरकार,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
चंडीगढ़।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(10) वित्त आयुक्त-सह-सचिव सदस्य
(तकनीकी शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(11) आयुक्त और सचिव, सदस्य
जम्मू कश्मीर,
श्रीनगर।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(12) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(13) केरल सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(14) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सदस्य
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(15) दादरा और नागर हवेली सदस्य
संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(16) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि सदस्य
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

(17) श्री ललित सूरी, अध्यक्ष, सदस्य
होटल होलीडे इन,
बाराखम्बा एवेन्यू, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

(18) श्री ललित सुरजन, सदस्य
संपादक, देशबन्धु, राम सागर पाड़ा,
रायपुर (मध्य प्रदेश)।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

(19) श्री डी.एल.बी. शर्मा, सदस्य
439/सी, 8 क्रास, 6 ब्लाक,
(पश्चिम), जयानगर, बंगलौर-560082 ।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

(20) श्री एम.वी. मुरुगप्पन, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
कार्बोरनडम यूनिवर्सल लिमिटेड,
टी आई एम हाउस, 28, राजाजी सलाई,
मद्रास-600001 ।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

(21) केन्द्रीय शिक्षा संलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (i) द्वारा)

(22) प्रोफेसर सी.एन.आर. राव, सदस्य
निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (ii) द्वारा)

(23) प्रोफेसर वी.सी. कुलन्दे स्वामी, सदस्य
सभापति, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (ii) द्वारा)

(24) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सदस्य
परिषद के प्रतिनिधि,
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (iv) द्वारा)

(25) डा. जे.एस. कादरी, सदस्य
सभापति, भारतीय मेषजी परिषद, नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (5) द्वारा)

(26) श्री जे.आर. मल, सदस्य
सभापति, स्थापत्यकला परिषद,
8-बी, शंकर मार्किट, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (vi) द्वारा)

(27) महा निदेशक, सदस्य
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (vii) द्वारा)

(28) प्रोफेसर एस.के. गुलाटी, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
एजूकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ढ) द्वारा)

(29) डा. टी. रामामूर्ति, सदस्य
सिविल इंजीनियरी विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
हौज खास, नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ढ) द्वारा)

(30) श्री डी.डी. अग्रवाल, सदस्य
अध्यक्ष, इंजीनियरी संस्थान,
भोपाल (मध्य प्रदेश)।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ढ) द्वारा)

(31) श्री पराफुल्ला महेश्वरी, सदस्य
प्रवैतनिक महा सचिव,
उद्योग परिसंघ, भोपाल, भवन,
भारत भवन, 3, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ढ) द्वारा)

(32) श्री पतंग राव कदम, सदस्य
भारती विद्यापीठ भवन,
एन.बी. शास्त्री रोड, पुणे-411030
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण) द्वारा)

IndiaCode

(33) श्री प्रभाकर गोपाल भागवत, सदस्य
भागवत फार्मा, कम्पू,
चनाकोठार, लश्कर, ग्वालियर ।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड () द्वारा]

(34) श्री वाई. एन. चतुर्वेदी, सदस्य-सचिव
अपर सचिव, शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (न)
द्वारा]

और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 479 (अ), तारीख 12 मई, 1988 में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है:--

उक्त अधिसूचना में,:--

(i) प्रविष्टि (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) प्रोफेसर एस. के. खन्ना, अध्यक्ष
डी-II 363, पंडारा रोड,
नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क)
द्वारा]"

(ii) प्रविष्टि (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(14) सचिव (व्यय) सदस्य
भारत सरकार, नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (छ)
द्वारा]"

(iii) प्रविष्टि (16) से प्रविष्टि (38) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(16) वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
नई दिल्ली
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ)
द्वारा]

(17) स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ञ)
द्वारा]

(18) सलाहकार (विज्ञान और तकनीकी) सदस्य
खान मंत्रालय,
नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ)
द्वारा]

(19) योजना आयोग का प्रतिनिधि सदस्य
नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ)
द्वारा]

(20) प्रोफेसर पी. जे. कुरियन, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
एफ--77, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(21) श्री प्रभाकर बी कोरे सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
129, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली,
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ)
द्वारा]

(22) आयुक्त और सचिव, सदस्य
हरियाणा सरकार,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
चण्डीगढ़
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(23) वित्त आयुक्त-सह-सचिव सदस्य
(तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(24) आयुक्त और सचिव सदस्य
जम्मू-कश्मीर,
श्रीनगर।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(25) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(26) केरल सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(27) निदेशक, तंकनीकी शिक्षा, सदस्य
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(28) दादरा और नागर हवेली सदस्य
संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(29) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र सदस्य
का प्रतिनिधि
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)
द्वारा]

(30) श्री ललित सूरी, अध्यक्ष, सदस्य
होटल होलीडे इन,
बाराखम्भा एवेन्यू, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)

(31) श्री ललित सुरजन, सदस्य
संपादक, देशबन्धु, राम सागर पाड़ा,
रायपुर (मध्य प्रदेश)
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) द्वारा]

(32) श्री डी. एल. बी. शर्मा, सदस्य
439/सी, 8 क्रास, VII ब्लाक,
(पश्चिम), जयानगर, बंगलौर–560082।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा]

(33) श्री एम. वी. मुरुगप्पन, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
कावेरिनडम् यूनिवर्सल लिमिटेड,
टी आई ए एम हाउस, 28, राजाजी सालाई
मद्रास–600001।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा]

(34) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ल) (i) द्वारा]

(35) प्रोफेसर सी. एन. आर. राव, सदस्य
निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (ii) द्वारा]

(36) प्रोफेसर वी. सी. कुलन्दस्वामी, सदस्य
सभापति, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी
नई दिल्ली।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ढ) (ii) द्वारा]

(37) भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, सदस्य
परिषद् के प्रतिनिधि
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (v) (4) द्वारा]

(38) डा. जे. एस. कादरी, सदस्य
सभापति, भारतीय भेषजी परिषद्
नई दिल्ली।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ढ) (v) द्वारा]

(iv) प्रविष्टि (41) से प्रविष्टि (46) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(41) प्रोफेसर एस. के. गुलाटी, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड,
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ढ) द्वारा]

(42) डॉ. टी. रामामूर्ति, सदस्य
सिविल इंजीनियरी विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
हौज खास, नई दिल्ली–110016

(43) श्री डी. डी. अग्रवाल, अध्यक्ष, सदस्य
इंजीनियरी संस्थान, भोपाल
मध्य प्रदेश
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) द्वारा]

(44) श्री प्रफुल्ला महेश्वरी, सदस्य
अवैतनिक महासचिव, फेडरेशन,
आफ मध्य प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स,
3, इंदिरा प्रैस काम्प्लेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल–460011
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) द्वारा]

(45) श्री पतंग राव कदम, भारतीय सदस्य
विद्यापीठ भवन, एल. बी. शास्त्री रोड,
पुणे
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण) द्वारा]

(46) श्री प्रभाकर गोपाल भागवत फार्मा, सदस्य
चनाकोठार, लश्कर, ग्वालियर
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण) द्वारा]।

(v) प्रविष्टि (51) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(51) श्री वाई. एन. चतुर्वेदी, अपर सचिव, सदस्य-सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (न) द्वारा]

[सं. एफ.–8-53/93–टी डी-एस. डी. आवले,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPME

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1994

S.O. 272(E).—In exercise of the powers conferred by section (4) of section 3 of the All India Council for T cal Education Act, 1987 (52 of 1987), the Central Go ment hereby appoints the following as members of the India Council for Technical Education, namely:—

1. Prof. S. K. Khanna, Chairr
D-II|363, Pandara Road,
New Delhi.
[vide clause (a) of sub-section (4) of section 3)]

2. Secretary (Expenditure),
Ministry of Finance,
Governmentof India,
New Delhi.
[vide clause (g) of sub-section (4) of section 3).

3. Representative of Ministry Mc
of Commerce, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-

4. Representative of Ministry of Health, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
5. Adviser (S&T), Ministry of Mines, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
6. Representative of Planning Commission, New Delhi [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
7. Proof. P. J. Kurien, Member Parliament (Lok Sobha), AB-77, Shahjahan Road, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
8. Shri Prabhakar B. Kore, Member Parliament (Rajya Sabha). 129, North Avenue, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
9. Commissioner & Secretary to the Government of Haryana, Technical Education Department, Chandigarh. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
10. Financial Commissioner-cum-Secretary (Technical Education), Government of Himachal Pradesh, Shimla. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
11. Commissioner & Secretary, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
12. Representative of Government of Karnataka. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
13. Representative of Government of Kerala. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
14. Director, Technical Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
15. Representative of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
16. Representative of Union Territory of Daman and Diu. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
17. Shri Lalit Suri, Chairman, Hotel Holiday Inn, Barakhamba Avenue, Connaught Place, New Delhi. [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
18. Shri Lalit Surjan, Editor, Desabhandhu, Ram Sagar Para, Raipur (Madhya Pradesh), [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
19. Shri D. L. V. Sharma, 439/C, VIIIth Cross, VII Block (West), Jayanagar, Bangalore-560082. [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
20. Shri M. V. Murugappan, Managing Director, Carborundum Universal Limited "TIAM HOUSE", 28, Rajaji Salai, Madras-600001, [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
21. Representative of Central Advisory Board of Education. [vide clause (m) (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
22. Prof. C. N. R. Rao, Director Indian Institute of Science, Bangalore. [vide clause (m) (ii) of sub-section (4) of section 3]	Member
23. Prof. V. C. Kulandaiswamy, President, Indian Society for Technical Education, New Delhi [vide clause (m) (iii) of sub-section (4) of section 3]	Member
24. Representative of Council of Indian Institute of Tecnology. [vide clause (m) (iv) of sub-section (4) of section 3]	Member
25. Dr. J. S. Qadry, Pdesident, Pharmacy Council of India, New Delhi. [vide clause (m) (v) of sub-section (4) of section 3]	Member
26. Shri J. R. Bhall, President, Council of Architecture, 8-B, Shankar Market, Connaught Place, New Delhi. [vide clause (m) (vi) of sub-section (4) of section 3]	Member

27. The Director General, National Productivity Council, New Delhi. [vide (m)(vii) of sub-section (4) of section 3]	Member
28. Prof. S. K. Gulhati, Managing Director, Educational Consultants India Limited, New Delhi. [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]	Member
29. Dr. T. Ramamurthy, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi. [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]	Member
30. Shri D. D. Aggarwal, Chairman, Institute of Engineering, Bhopal (Madhya Pradesh). [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]	Member
31. Shri Prafulla Maheshwari, Hon. Secretary General, Federation of Industry, Bhopal, Nava Bharat Bhawan, 3, Indira Press Complex, Maharana Pratap Nagar, Bhopal-462011. [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]	Member
32. Shri Patang Rao Kadam, Bharati Vidyapeeth Bhawan, L. B. Shastri Road, Pune-411030. [vide clause (o) of sub-section (4) of section 3]	Member
33. Shri Prabhakar Gopal Bhagwat, Bhagwat Pharma, Kampoo, Chamkatar, Lashkar, Gwalior. [vide clause (o) of sub-section (4) of section 3]	Member
34. Shri Y. N. Chaturvedi, Additional Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development. [vide clause (t) of sub-section (4) of section 3]	Member-Secretary

and amends the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), No. S.O. 479(E) dated the 12th May, 1988 as follows :—

In the said notification—

(i) for entry (1), the following entry shall be substituted, namely :—

"(1) Prof. S. K. Khanna, D-II 363, Pandara Road, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]"	

(ii) for entry (14) the following entry shall be substituted, namely :—

"(14) Secretary (Expenditure), Government of India, New Delhi. [vide clause (p) of sub-section (4) of section 3]"	Member

(iii) for entries (16) to (38), the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"(16) Representative of Ministry of Commerce, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
(17) Representative of Ministry of Health, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
(18) Adviser (S&T), Ministry of Mines, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
(19) Representative of Planning Commission, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
(20) Prof. P. J. Kurien, Member (Lok Sabha), AB-77, Shahjahan Road, New Delhi. [vide clause (j) of sub-section (4) of section 3]	Member
(21) Shri Prabhakar B. Kore, Member (Rajya Sabha), 129, North Avenue, New Delhi. [vide clause (j) of sub-section (4) of section 3]	Member
(22) Commissioner & Secretary to the Govt. of Haryana, Technical Education Department, Chandigarh. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
(23) Financial Commissioner-cum-Secretary (Technical Education), Government of Himachal Pradesh, Shimla. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
(24) Commissioner & Secretary, Government of Jammu and Kashmir, Srinagar/Jammu. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
25. Dr. J. S. Qadry, President, Pharmacy Council of India, New Delhi. (vide clause (m) ,v) of sub-section (4) of section (3).	Member
(26) Representative of Government of Kerala. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
(27) Director, Technical Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
(28) Representative of the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli. [vide clause (k) of sub-section (4) section 3]	Member

(29) Representative of Union Territody of Daman & Diu. Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]

(30) Shri Lalit Suri Chairman, Hotel Holiday Inn, Barakhamba Avenue, Connaught Place, New Delhi Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]

(31) Shri Lalit Surjan, Editor, Deshbhandu, Ram Sagar Para, Raipur (Madhya Pradesh Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]

(32) Shri D.L.V. Sharma, 439|C, VIIIth Cross, VII Block (West), Jayanagar, Bangalore-560082 Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]

(33) Shri M.V. Murugappan, Managing Director, Carborundum Univedsal Limited, "TIAM HOUSE", 28, Rajaji Salai, Madras-600001. Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]

(34) Representative of Central Advisory Board of Education Member
[vide clause (m) (i) of sub-section (4) of section 3]

(35) Prof. C.N.R. Rao, Director, Indian Institute of Science, Bangalore Member
[vide clause (m)(ii) of sub-section (4) of section 3]

(36) Prof. V. C. Kulandaiswamy, President, Indian Society for Technical Education, New Delhi Member
[vide clause (m)(iii) of sub-section (4) of section 3]

(37) Representative of Council of Indian Institute of Technology Member
[vide clause (m)(iv) of sub-section (4) of section 3]

(38) Dr. J. S. Qadry, President, Pharmacy Council of India, New Delhi Member
[vide clause (m)(iv) of sub-section (4) of section 3]

(iv) for entries (41) to (46), the following entries shall respectively be submitted, namely,

"(41) Prof. S. K. Gulhati, Manager Director, Educational Consultants India Limited Member
]vide clause (m) of sub-section (4) of section 3]

(42) Dr. T. Ramamurthy, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi-110016 Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

(43) Shri D. D. Aggarwal, Chairman, Institute of Engineering, Bhopal (Madhya Pradesh) Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

(44) Shri Prafulla Maheshwari, Hon. Secretary General, Federation of Madhya Pradesh Chambers of Commerce, 3, Indira Press Complex, Maharana Pratap Nagar, Bhopal-460011 Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

(45) Shri Patang Rao Kadam, Bharati Vidyapeeth Bhawan, L.B. Shastri Road, Pune Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

(46) Shri Prabhakar Gopal Bhagwat Pharna, Chamkotar, Lashkar, Gwalior Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

(v) for entry (51), the following entry shall be substituted, namely :—

(51) Shri Y. N. Chaturvedi, Additional Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Deve-loyment Member|Secretary
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

[No. F. 8-53|93-TD.I]

S. D. AWALE, Jt. Educational Adviser (Tech)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994